IJARETY

# International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

**Volume 11, Issue 6, November-December 2024**

**Impact Factor: 7.394**

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

crossref

NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 6, November-December 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1106115

# एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

**Dr. Koushal Kumar Sain**

Associate Professor, Department of Political Science, Babu Sobha Ram Govt. Arts College, Alwar (Raj.), India

**सारांश**- भारत विश्व का वृहत्तम लोकतांत्रिक देश है। प्रायः प्रत्येक देश में लोकतंत्र एक सफल चुनावी प्रक्रिया के कारण ही सफल हो पाता है। भारत में भी केंद्र स्तर पर अब तक सत्रह बार लोकसभा का गठन हो चुका है तथा राज्यों के स्तर पर भी कई बार चुनाव हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन की गुलामी से आजादी प्राप्त करने के बाद भारत ने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, जो मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली पर आधारित थी। वेस्टमिन्स्टर प्रणाली शासन की एक ऐसी प्रणाली है जो यूनाइटेड किंगडम में अपनायी गई है। इस प्रणाली को अपनाए जाने का एक प्रमुख कारण अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में पहले से प्रचलित भारत सरकार अधिनियम 1935 का लागू होना था लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा में भारतीय संविधान को बनाने के लिए चले लम्बे विचार-विमर्श के बाद जो संविधान अन्ततः बना उसमें विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित सर्वात्तम प्रावधानों को भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अपना लिया गया। भारत में चुनावी प्रक्रिया का इतिहास यह बताता है कि शुरुआती कुछ चुनावों को छोड़कर संभवतः साठ के दशक से भारतीय राजनीति में आयी कई दुष्प्रवृत्तियों की तरह चुनाव के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार की शुरुआत होने लगी थी। प्रथम तीन आम चुनावों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की खबरें बहुत कम थीं लेकिन चौथे आम चुनाव से जो चुनौतियां खड़ी हुईं वे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आज तक बनी हुई हैं जैसे- राजनीति का अपराधीकरण, मतदान में गिरावट, धनबल एवं बाहुबल का प्रयोग, फर्जी मतदान, राजनीतिक दलों द्वारा चंदे की उगाही एवं सबसे बढ़कर जन प्रतिनिधियों के ऊपर से जनता का उठता विश्वास, साथ ही नेता व जनता के बीच बढ़ती दूरी ने भारतीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन समस्याओं के निवारण के लिए सन 2014 से एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की तरफ भारतीय शासन का ध्यान गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और शासन की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसका उद्देश्य देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है ताकि बार बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को कम किया जा सके। इस विचार को समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों द्वारा समर्थन किया गया है।

**शब्द संक्षेप**- निर्वाचन व्यय, राजनितिक भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक सुदृढ़ता, जनादेश, राजनीति का अपराधीकरण, वंशवादी राजनीति, चुनाव सुधार, अनिवार्य मतदान।

## I. भूमिका

भारतीय संविधान का निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ। भारतीय संविधान के अंतर्गत अब तक लोकसभा के 1952 से लेकर 2024 तक 18 बार निर्वाचन संपन्न हुए तथा कई विधान सभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन सबके बावजूद हमारे संविधान ने अपने आप को गतिशील बनाए रखा है। इसके लिए संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। हमारे देश में यह एक शुभ संकेत है कि सत्ता का हस्तांतरण मतपत्र के आधार पर किया गया न कि किसी भी संघर्ष के आधार पर। पिछले 75 वर्षों के अनुभव के साथ भारतीय लोकतंत्र लगातार सुदृढ़ हुआ है। इसकी सुदृढ़ता को केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर के चुनाव तथा इन चुनावों में जन सहभागिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान की है। इन सबके बावजूद वर्तमान में भारत में सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, चुनावों में बड़े पैमाने पर धन का प्रयोग, त्रिशंकु विधानसभा आदि की वजह से भारतीय शासन में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत में आम चुनाव को प्रजातन्त्र का योग्यतम प्रयोग माना जाता है और इन्हें लोकतंत्र की ऐतिहासिक घटनाएँ माना जाता है। भारत जैसे बड़े विकासशील राष्ट्र में 18 आम चुनाव व कई उपचुनाव हो चुके हैं। लोकतंत्र के स्वरूप के रूप में भारत में प्रतिनिध्यात्मक प्रकार का लोकतन्त्र अपनाया गया है और निर्वाचन की संवैधानिक व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 से 39 तक की गयी है। संविधान में प्रावधान है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होगा और उनके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली के सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मूल सामाजिक विषमता के आधार पर कोई भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित नहीं रहेगा अर्थात राजनीतिक समानता को

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 6, November-December 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1106115

स्थापित कर सभी धर्मों, जातियों एवं समाज के सभी वर्गों को मताधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है जिसका स्वरूप सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में स्थापित है। भारतीय लोकतन्त्र में चुनाव लोकतन्त्र के एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और सरकार जनता की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। भारतीय लोकतंत्र ने जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। जनता ने अपने मताधिकार में किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया है यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है जो कि भारतीय लोकतन्त्र को आम चुनाव के माध्यम से एवं राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता एवं निष्ठा बोध के द्वारा यह प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि भारतीय जनता की लोकतन्त्र के प्रति कितनी घनिष्ठ आस्था है। वह कहाँ तक जागरूक है। इन सभी बातों को मतदान आचरण के माध्यम से जाना जाता है। विगत् पांच दशक में यह परम्परा बन गई है कि लगभग प्रत्येक छह माह पर किसी न किसी चुनाव का सामना देश को करना पड़ता है। इसमें चुनाव के परिणाम पर केंद्र की विश्वसनीयता भी दांव पर लगी रहती है। यदि परिणाम केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं तो सरकार भी आगे कोई ठोस एवं कठिन निर्णय लेने में हिचकिचाती है।उल्लेखनीय है कि लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव 1967 तक होते रहे हैं। 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं को भंग करने से यह क्रम टूट गया। 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया गया जिसके बाद यह क्रम कभी नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे को 1995 में उठाया था। उनके अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जाने से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर एवं मजबूत होगी। इससे सरकार के खर्च में कमी आएगी। इस प्रकार यह मामला ज्वलंत रहा है।

दरअसल एनडीए की वर्तमान सरकार इस दिशा में गंभीर कार्य करना चाहती है। हालांकि चुनावों में सुधार की दृष्टि से निर्वाचन आयोग और विधि आयोग अनिवार्य मतदान, निर्वाचित प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार, एक प्रत्याशी के दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के प्रस्ताव केंद्र सरकार को देते रहे हैं लेकिन यह पहला ऐसा प्रस्ताव है जिस पर केंद्र सरकार सर्वदलीय सहमति बनाने के लिए प्रयारत है।

शोध विषय के उद्देश्य-.प्रस्तुत शोध में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ विषय का व्यावहारिक अध्ययन किया गया है। भारतीय राजनीति में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता की प्रभावोत्पादकता का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में समीक्षा करना अनिवार्य है। यह समीक्षा भारतीय निर्वाचन प्रणाली में चुनाव सुधार विषय के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में भारत में किन.किन स्तरों पर भारतीय निर्वाचन प्रणाली में एक राष्ट्र एवं एक चुनाव की आावश्यकता अपना योगदान देगी।

अनुसंधान पद्धति एवं अध्ययन क्षेत्र- प्रस्तुत शोध में व्यावहारिक अनुभवात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्यन में स्पष्टता एवं प्रमाणिकता लाने के लिए सूचनाओं का संकलन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ विषय पर विभिन्न पुस्तकों, शोध जनरल, शासकीय तथा अशासकीय प्रकाशन, समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है ताकि पर्याप्त आगत मिल सके। मैंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता एवं चुनौतियां विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है।

एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता- प्रतिनिध्यित्मक या उत्तरदायी शासन व्यवस्था में निर्वाचक समूह अपने कार्य का सम्पादन मतदान की प्रक्रिया द्वारा करता है। जो नागरिक शासन व्यवस्था में मतदान करते हैं या मतदान करने योग्य होते हैं वे निर्वाचक या मतदाता कहलाते हैं, जिस समय यह किया जाता है उसे निर्वाचन कहते हैं। वर्तमान युग अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यित्मक लोकतंत्र का युग है जिसमें नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता अपितु प्रतिनिधियों के माध्यम से ये शासन के कार्य में भाग लेते हैं। अतः मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व आधुनिक लोकतंत्र के बुनियादी आधार हैं। इस आधार को व्यावहारिक रूप निर्वाचन के द्वारा प्रदान किया जाता है।

भारतीय चुनाव प्रणाली की अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के बगैर जनतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। साथ ही मतदाता की बढ़ती हुई समझदारी, उम्मीदवारों को अपने अधिकार का बोध, राजनीतिक दलों का गठन, तेजी से बदलता हुआ परिवेश आदि परिस्थितियों ने भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के समाधान में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता द्वारा राजनीतिक सहभागिता, वयस्क मताधिकार, सच्ची लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना संभव होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय निर्वाचन व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित करेगा ताकि जनता द्वारा निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग, भयभीत मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता तथा देश के सभी नागरिकों के मत का सही प्रयोग के साथ लोक कल्याण के संवर्धन हेतु प्रभावकारी सरकार के निर्माण में मदद मिलेगी।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 6, November-December 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1106115

एक राष्ट्र एक चुनाव जैसा चुनाव सुधार राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष खड़ी चुनौतियों के समाधान करने एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास होगा। फिर भी भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के समक्ष अनेक पुरानी एवं नई चुनौतियां विद्यमान हैं। चुनाव प्रक्रिया में सतत सुधारों की आवश्यकता है। आज निर्वाचन आयोग की सशक्त भूमिका के बावजूद चुनावों में धन और बाहुबल की भूमिका लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकाचार पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल रही है। आज तेजी से हो रहा राजनीति का अपराधीकरण, चुनावों में धांधली, चुनावी हिंसा को बढ़ा रहा है। अभी तक चुनाव सुधारों की दिशा में किए गए कार्यों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता चुनाव लड़ना और बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होता है। इसके बिना राजनीतिक सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता है। चुनावों में धन का बहुत महत्व है। चुनाव जीतना व्यवहारतः एक व्यावसायिक उद्यम है। जिसमें चुनाव कोष के रूप में पूंजी विनियोग की और कर्मचारियों के विशिष्ट संगठन की आवश्यकता पड़ती है। एक राजनीतिक दल जिसका प्रबंध व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के हाथ में होता है और जिसका काम होता है मत प्राप्त करना।चुनाव कोष में लोग स्वार्थभाव व  निस्वार्थ भाव से चंदा दे सकते हैं लेकिन सबसे अधिक योग सामान्यतः धनी व्यक्तियों का होता है जो बदले में उम्मीदों के अनुसार कानून बनवाना चाहते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती रहा है। ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं कि जिन व्यक्तियों पर अनेक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उन्हें ही राजनीतिक दलों ने अपना अभ्यर्थी बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि साम, दाम, दंड, भेद से निर्वाचन सफलता प्राप्त करना आज अभ्यर्थियों की अनिवार्य योग्यता बन गई है। जनसाधारण भी ऐसे संगठनों के सदस्य बन रहे हैं जो नियोजित रूप में शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भय और आतंक स्थापित करके अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में दक्ष हैं।

भारतीय चुनाव प्रणाली का एक विचित्र पहलू यह भी है कि यहाँ के अधिकांश मतदाता अशिक्षित हैं। अतः उनके लिए राजनीतिक विचारधाराएं निरर्थक हैं। इसके फलस्वरूप मतदान प्रणाली पर जाति, धर्म, धन अथवा बाहुबल कहीं अधिक हावी हो जाते हैं और मतदान के नतीजों को प्रभावित करते हैं। भारत में सभी प्रमुख दलों का रुझान मुख्यतः येन केन प्रकारेण अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने तक सीमित रहा है। वे अपनी विचारधारा के प्रति मतदाताओं का विश्वास जुटा पाने के लिए अपेक्षाकृत कम ही चिन्तित रहते हैं।

## II. इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास

सर्वप्रथम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवधारणा का समर्थन किया इसके पश्चात नीति आयोग के एक पत्र में लागतए बचत और शासन में निरंतरता के आधार पर इसके लाभों पर जोर दिया गया। सन 1999 और 2018 में लॉ कमीशन ने एक साथ चुनावों के लिए संवैधानिक संशोधनों का समर्थन किया। पर्याप्त संसाधन एवं कानूनी ढांचा होने की स्थिति में भी चुनाव आयोग ने 1983 एवं 2015 में इस अवधारणा का समर्थन किया। इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। मार्च 2024 में समिति ने दो चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की तथा अपनी सिफारिश में बताया कि चुनाव दो चरणों में संपन्न होने चाहिए पहले चरण में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के एवं दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव सम्पन्न होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 83ए, 172 व 356 में परिवर्तन करके एक नया अनुच्छेद 82ए जोड़ा जाना शामिल है। इस उच्च स्तरीय समिति ने दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया जैसे देशों के मॉडल का भी अध्ययन किया और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और दो विधेयकों को मंजूरी प्रदान की है।

## III. एक राष्ट्र एक चुनाव की समकालिकता की व्यवहारिक चुनौतियां

भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है जहां बहुत से राजनीतिक दल एक राष्ट्र एक चुनाव को संघीय ढांचे के विरुद्ध मानते हैं वहीं क्षेत्रीय दल इस अवधारणा के धुर विरोधी हैं उनका मानना है कि इससे राष्ट्रीय दलों की विचारधारा का वर्चस्व बढ़ेगा और स्थानीय स्तर के मुद्दे गौण होते चले जाऐंगें साथ ही उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। एक चुनौती संवैधानिक संशोधन के रूप में भी उपस्थित होगी क्योंकि इसके लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। एक चुनौती यह भी होगी कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अलग.अलग है और उन्हें सामान कैसे किया जाएगा दूसरी बात जो विधानसभा बहुमत के समर्थन में नहीं होगी वहां चुनाव की समकालिता के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। एक नई चुनौती प्रशासनिक जटिलता के रूप में भी दिखाई देगी क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मतदान कर्मी एवं सुरक्षा बलों की आवश्यकता भी होगी। चुनाव प्रणाली में मितव्ययिता लाने के लिए इस अवधारणा को अपनाया जा रहा है किंतु प्रारंभ में चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त चुनावी सामग्री के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता चुनाव आयोग को पड़ेगी।

हमारे देश में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि भारतीय मतदाता का बड़ा प्रतिशत प्रायः मतदान में भाग नहीं लेता है ऐसी स्थिति में मतदाता का एक साथ लोकसभा एवं विधानसभाओं में मत देते समय उसका मतदान व्यवहार क्या होगा। एक साथ चुनाव संपन्न

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 6, November-December 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1106115

कराने के लिए एक समस्या यह भी आ सकती है कि मतदान के दिन कई क्षेत्रों में आकस्मिक समस्याओं के समाधान एवं परिवहन की समस्याएं भी चुनौती के रूप में होगी तथा एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए डिजिटल मतदाता सूची, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन निगरानी के लिए बाहरी निवेश की आवश्यकता होगी।

## IV. निष्कर्ष

यदि इस प्रस्ताव पर अमल हो जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता का एक नया दौर शुरू होगा जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का वाहक बन सकता है। यदि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो निश्चित ही विकास को निरंतरता मिलेगी। साथ ही अनियंत्रित एवं व्यापक चुनाव व्यय के बोझ को कम किया जा सकेगा। इसका एक लाभ यह भी है कि लोकसभा और विधानसभा के एक समय पर चुनाव होने से मंत्रियों को समय मिल सकेगा और वे अपनी कार्यक्षमता का उपयोग विकास योजनाओं में कर सकेंगे जिससे निश्चित रूप से आम नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा।

इसमें सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य आम सहमति कायम करना है। राज्यों की अपनी अलग स्थितियां एवं विविधता है और केंद्र सरकार इन पर एकरूपता नहीं थोप सकती। दूसरे यदि किन्हीं राज्यों में समय से पूर्व सरकार गिर जाती है तो वहां पर चुनावों में समकालिकता बैठाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा या सर्वदलीय सरकार बनानी पड़ेगी। इसमें लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता होगी। एक राष्ट्र एक चुनावष् की अवधारणा आर्थिक, प्रशासनिक और शासकीय दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकती है क्योंकि यह संसाधनों की बचत, शासन में स्थिरता और विकास कार्यों में निरंतरता ला सकती है। हालांकि इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन और क्षेत्रीय हितों का संतुलन आवश्यक है।

## संदर्भ सूची

1.कश्यप, सुभाषः हमारी संसदए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 1999
2.रंजन, राजीवः चुनाव लोकसभा और राजनीति, ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली 2000
3.दुर्गादासः भारत का संविधान एक परिचय, प्रेन्टिस हाल, नई दिल्ली 2003-बसु,
4.अग्रवाल, मनोजः चुनाव सुधार. सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन दिल्ली 2015
5.साहा, के, सीः आदर्श आचार संहिता निर्वाचन संदर्भ पुस्तिका,शिप्रा पब्लिकेशंस, दिल्ली
6.नीति आयोग की रिपोर्ट 2017
7.लॉ कमीशन की रिपोट(170वीं और 255वीं) 2015,2018
8.भारत का निर्वाचन आयोग,आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल,दस्तावेज 24 मार्च 2019
9.रामनाथ कोविन्द रिपोर्ट

IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975 Impact Factor: 7.394

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com